न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/107/2023	2023/436	03-08-2023	11-07-2024

01— महेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर ।

—अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

—रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक 27.12.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 105/2022

उपस्थितः—

01—श्री जलालुदीन —वकील अपीलाण्ट

<u>निर्णय</u>

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 105/2022 जिसके द्वारा सम्वत 2079 में ग्राम बगड राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 1.50 है0 मे से 0.30 है0 पर गैर सायल अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से गेहूँ काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू—अभिलेख निरीक्षक वृत बगड मेव के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का बगड राजपूत ने एक रिपोर्ट में तहत अदालत में इस आशय की पेश की है, कि सम्वत 2079 में ग्राम बगड के आराजी खसरा न0 384 रकबा 1.50 है0 मे से 0.30 है0 पर गैर सायल अपीलान्ट अवैध रूप से गेहूँ काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू— अभिलेख निरीक्षक वृत बगड मेव के तहत न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसके बाद अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम का नोटिस मिन अपीलान्ट को जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 27.12.2022 को आलौच्य निर्णय परित करते हुये आदेश दिया गया। कि गैर सायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने एवं गैर सायल की गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस थाना को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दण्ड स्वरूप लगान 0.60/—रूपये का 50 गुना रूपया 30/—रूपयें पेनल्टी आरोपित की जाकर मॉग कायमी हेतु टी.आर.ए तहसील हाजा को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली, फसल नीमाली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू0अ0निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमायी गयी। प्रार्थी अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा आराजी खसरा नंबर 384 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम बगड

राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर की भूमि में से 0.30 है0 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया। और नाही किसी प्रकार की कोई फसल बोई गई है। मात्र हल्का पटवारी के प्रार्थना–पत्र व बयान के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में तहत न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश सादिर फरमाया गया है। जो अपास्त फरमाये जोन योग्य है। अपीलान्ट की उक्त प्रकरण में तामील हुई और मिन प्रार्थी अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन तहत अदालत ने प्रार्थी अपीलान्ट के जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन तहत अदालत ने प्रर्थी अपीलान्ट के जवाब से सन्तुष्ट नही होकर प्रार्थी अपीलान्ट के खिलाफ दण्डादेश पारित कर दिया इसलिये तहत अदालत का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट का सरकारी चारागाह भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नही रहा है नाही वर्तमान में अतिक्रमण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। जबकि हल्का पटवारी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है। नाही अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 91(6) का नोटिस दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्विन्त है कि पूर्व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करनी होती है, लेकिन उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर तहत न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है। तहत न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान साईक्लिोस्टाईल में दिये गये है। तथा न्यायालय आदेश भी प्रिटेन्ड फोरमेट में पहले से छपे हुये आदेश में रिक्त स्थानों कि पूर्ति करते हुये किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी पत्रावली की आदेशिका में यह दर्ज किया है। निर्णय पृथक् से लिखाया गया है। जो कि न्यायालय कार्यवाही के अनुसार संगत नही है। अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध किया है जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। निर्णय न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 105/22 की मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। इसलिये अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी। जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही है। दिनांक 03.07.2023 को तहत अदालत के निर्णय के बाद पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर तहत अदालत के उक्त निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को मोखिक रूप से देने पर हुई। जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने नकल के लिये जरिये अधिवक्ता दिनांक 05.07.2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 17.07.2023 को तैयार होकर दिनांक 17.07.2023 को नकल वकील साहब को दिखा कर कानूनी राय ली। तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की राय दी जिसके बाद अपील करने के लियें आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार करा कर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 03.07.2023 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा मुकदमा संख्या 105/2022 बअनुवान सरकार बनाम महेन्द्र में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.12.2022 को अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनाक 27.12.2022 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 18.07.2023 को पेश की गयी है जो करीब 7 माह विलम्ब से पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तों में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलाण्ट पूर्व में अतिक्रमी रहा है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी पर से प्रार्थी ने अतिचार हटा लिया है और भविष्य में अतिचार नहीं करेगा। वकील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में भी हलफनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 384 रकबा 01.50 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टेयर वाके ग्राम बगड़ राजपूत

तहसील रामगढ़ जिला अलवर से मैंने अतिक्रमण हटा लिया है और मैं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूंगा। अपीलाण्ट के हलफनामे के आधार पर अपीलाण्ट की अपील अपीलाण्ट की सजा की हद तक स्वीकार की जाती है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)